

13 12
18

अभिवाचन रेसपो. संख्या 88 द्वारा शर्मा - पत्र प्रस्तुत
दिये जाने पर पत्रावली आज पेशी पर ली गई। प्रस्तुत
शर्मा - पत्र से रेसपो. अति. द्वारा निर्देश दिया गया
है कि इस अपील से सम्बन्धित झल काद नहत - माया
द्वारा रकारिज कर दिया गया है। इसलिये कर्तव्य अपील
- चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलार्थ आज ही
रकारिज कर दी जावे। शर्मा - पत्र से साध - साध
रेसपो. अति. द्वारा नहत अकालत से निर्णय दिनांक
14.11.18 से उपाधीन प्रति भी प्रस्तुत की गई।

हमने शर्मा - पत्र से साध प्रस्तुत

निर्णय की प्रति का अवलोकन किया। निर्णय प्रति से
अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील आज से सम्बन्धित
झल काद नहत - माया. द्वारा रकारिज किया जा चुका है,
इसी स्थिति से अपील आगे चलाने वाले योग्य नहीं है।
अतः अपील अपीलार्थ इसी स्तर पर रकारिज की जाती है।
शर्मा - पत्र से निर्णय प्रति आदि पत्रावली दिया गया। प्रया.
द्वारा प्रमाण लेवर, गम्बर से इस की जात, काद नवगीत
आहवा वासिल पत्र पर की जावे।



भू-प्रवन्ध अधिकारी एवं पतेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलावर